27/9/19 पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष
के अतिरिक्त उपस्थित उभयपक्ष की
बहस पर मनन किया। पत्रावली
का अवलोकन किया। प्रार्थी/आवेदक
का आवेदन स्वीकार किया जाता है।
पालना हेतु तहसीलदार, चांद को लिखा
जावे। निर्णय पृथक से लिखवाया जावे
शामिल पत्रावली किया। पत्रावली
कार्य पूरा होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चांद (म.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

क्रमांक/रीडर/2019/ 439 दिनांक 1/10/19

तहसीलदार,
धोद मु. सीकर

विषय– प्रार्थना–पत्र सं. 61/2018 अ.धा. 251(ए) आरटीए उनवान **भुराराम** वनाम **प्रहलाद आदि** में निर्णय **दिनांक 27.09.2019** की पालना वावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय **दिनांक 27.09.2019** के अनुसरण में निर्णय की सत्यप्रतिलिपि भेजकर लेख है कि निर्णय अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता हरदेवाराम द्वारा दिनांक 07.03.1994 को किये गये इकरारनामे के आधार पर व तहसीलदार, धोद की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दर्शाये गये स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की खातेदारी की आराजी ख.नं. 410 रकबा 3.72 है. में से 1/2 बीघा कच्ची भूमि अर्थात् 562 वर्ग मीटर भूमि को गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा इसके बदले में इकरारनामें में अंकित स्थान पर आवेदक(प्रार्थी) की खातेदारी आराजी 413 रकबा 2.19 हैक्टेयर में पौन (3/4) बीघा कच्ची अर्थात् 843 वर्ग मीटर भूमि को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज की जावें तथा इसी अनुसार मौके पर नाप जोख कर आवेदक का रास्ता कायम करने एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 को कब्जा देने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु.) सीकर

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलारा राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 61 / 2018 / 251 (ए) आरटीए

1. भूराराम पुत्र श्री रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद, जिला सीकर

—आवेदक / प्रार्थी

बनाम

2. प्रहलाद पुत्र हरदेवाराम
3. मोहन पुत्र हरदेवाराम
4. किशनसिंह पुत्र हरदेवाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद, जिला सीकर

5. तहसीलदार, धोद जिला सीकर
6. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रसीदपुरा, जिला सीकर

—अनावेदकगण / अप्रार्थीगण

आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

उपस्थिति—

1. श्री अतुल चौधरी आवेदक / प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रभातीलाल वकील अनावेदकगण / अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 27.09.2019

1. वकील आवेदक ने आवेदक / प्रार्थी की ओर से आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम रसीदपुरा, पटवार हल्का रसीदपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर की तन में भूमि खसरा न. 413 रकबा 2.1900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर— 410 रकबा 3.7200 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमियों में से खसरा न. 413 आवेदक की खातेदारी कब्जे, काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि हैं तथा कृषि भूमि खसरा न. 410 रकबा 3.7200 हैक्टर अनावेदकगण की खातेदारी की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 413 में आने जाने एवं आवागमन हेतु कटाणशुदा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है इसलिए आवेदक द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 413 रकबा 2.1900 हैक्टर की पश्चिमी सीमा की तरफ खसरा नम्बर—410 स्थित है, जिसके दक्षिणी सींव के सहारे—सहारे पश्चिम से पूर्व 8 हाथ चौडा रास्ता मौजूद है जो कि आवेदक व अनावेदकगण संख्या—1 लगायत 3 की सींव के साथ—साथ होता हुआ आवेदक की भूमि खसरा नम्बर—413 में प्रवेश करता है जिसका आवेदक अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है उक्त रास्ते में से आवेदक के स्वंय के आवागमन एवं पशुधन, कृषि कार्यो के उंटगाडी व ट्रेक्टर इत्यादि का निर्बाध आवागमन होता आ रहा है। इसके अतिरिक्त आवेदक की भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा उक्त रास्ता ही आवेदक की भूमि में आवागमन हेतु सबसे कम दूरी का व सुविधाजनक है। इसलिए आवेदक को अनावेदकगण संख्या—1 लगायत 3 की

उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु.) सीकर

Scanned by CamScanner

भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। उक्त रास्ते के अभाव में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग, उपभोग में वंचित हो रहा है। आवेदक के भूमि खसरा नम्बर–413 के उत्तरी दिशा के पश्चिमी कोर्नर में आवेदक का पक्का मकान बना हुआ है जिसको आवेदक ने कुछ समय के लिए अनावेदक संख्या–2 मोहन को रहने के लिये दिया हुआ था। अब अनावेदक संख्या–2 मोहन द्वारा उक्त मकान खाली नहीं किया जा रहा है तथा आवेदक से इस बात की अवैध मांग की जा रही है कि यह मकान हमें रहने के लिए दो तभी हम तुम्हारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवायेंगे अन्यथा आवागमन के लिए मौजूद रास्ता को बन्द कर देंगे। इसी प्रयास में बार–बार रास्ता बन्द कर देते है एवं आवेदक के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। उक्त मकान को खाली करवाने के लिये आवेदक द्वारा पृथक से सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक उक्त रास्ता हेतु ''निर्वापित'' की जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि अनावेदकगण संख्या–1 लगायत 3 को अदा करने हेतु तैयार हैं तथा अनावेदक संख्या–4 भू–धारक तहसीलदार को मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है उनसे कोई सहायता नहीं चाही गई है एवं अनावेदक संख्या–5 के यहां भूमियां रहन होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। आवेदक को रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवेदक की जोत में उपलब्ध नहीं होने के कारण व मानव स्वभाव में रोज–रोज आने वाले उतार–चढाव से बचने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर ग्राम रसीदपुरा, पटवार हल्का रसीदपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रसीदपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर की तन में भूमि खसरा न. 413 रकबा 2.1900 हैक्टर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर–410 रकबा 3.7200 हैक्टर की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे खसरा नम्बर–413 में से 8 हाथ चौडाई का मैलासी– पलथाना रास्ता से पश्चिम से पूरब की ओर आवेदक की भूमि में प्रवेश करने हेतु रास्ता कायम करके रास्ता में आने वाली भूमि को ''निर्वापित'' कर अलग खसरा नम्बर डालकर राजस्व अभिलेखों में खातेदार के कॉलम में राजकीय भूमि दर्ज कर ''गैर मुमकीन रास्ता'' अभिलिखित किया जाने एवं नक्शा में तरमीम करके रास्ता का अंकन किया जावे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से अभिभाषक श्री प्रभातीलाल ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब आवेदन पेश किया। जिसे शामिल पत्रवली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/251–क आरटीए/2019/256 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

3. वहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी कि ओर से यह कथन किया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है तथा उपयुक्त है। पहले हम सभी खातेदारान सहमति से उक्त वर्णित रास्ते से आते–जाते थे, लेकिन अब बाधा उत्पन्न करते है। इसलिए कीमतन लेना आवश्यक हो गया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने जवाव तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि हमारे द्वारा रास्ते के बदले में जमीन प्रार्थी से ली गई तथा उसमें मकान बना लिये गये। हमारे द्वारा उक्त भूमि के

उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु.) सीकर

Scanned by CamScanner

बदले में प्रार्थी को रास्ता दे दिया, जो मौके पर चालू है। अतः 251–ए का प्रार्थना–पत्र पत्र चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी हमारा पक्ष मजबूत करती है। जब रास्ता पहले ही दे दिया गया है तो अ.धारा 251–ए का प्रार्थना–पत्र का पेश करने का औचित्य क्या है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। वकील अप्रार्थीगण कि ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में एक इकरारनामा दिनांकित 07.03.1994 का भी अवलोकन किया, जो कि प्रार्थी भूराराम (प्रथम पक्षकार) तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3(द्वितीय पक्षकार) के पिता हरदेवाराम के मध्य इकरारयुक्त है। उक्त इकरारनामें में उल्लेखित किया है कि आराजी खसरा सं. 413 में आने जाने के लिए प्रथम पक्षकार के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इस कारण प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार ने आपस में बैठकर यह तय किया कि प्रथम पक्षकार आराजी खसरा सं. 413 में आने–जाने के लिए आपनी आराजी खसरा सं. 413 के पश्चिमी और के पड़ौसी खसरा सं. 410 जो कि द्वितीय पक्षकार की है, के दक्षिण कोने में एक रास्ता 6 हाथ चौड़ा जिसका क्षेत्रफल आधा बीघा कच्ची होती है, कायम करेगा, अर्थात् द्वितीय पक्षकार उक्त रास्ता प्रथम पक्षकार को आने–जाने, मवेशी लाने ले जाने के लिए हेतु सहमत है, बशर्ते प्रथम पक्षकार अपनी आराजी खसरा सं. 413 में से उत्तरी पश्चिमी सींव के बराबर–बराबर अर्थात् पौन बीघा जमीन द्वितीय पक्षकार को दे दें। उक्तानुसार दोनों पक्षों के मध्य हुए उक्त इकरारनामें के अनुसार प्रार्थी भूराराम को आवागमन हेतु 6 हाथ चौड़ा रास्ता सहमति के अनुसार प्राप्त हो चुका है। जिसकी एवज में प्रार्थी भूराराम ने अपनी भूमि में से पौन बीघा जमीन द्वितीय पक्षकार को दे दी थी। अतः उक्तानुसार भूमि के बदले भूमि के सिद्धान्त का पालन करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता हरदेवाराम द्वारा दिनांक 07.03.1994 को किये गये इकरारनामे के आधार पर व तहसीलदार, धोद की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दर्शाये गये स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की खातेदारी की आराजी ख.नं. 410 रकबा 3.72 है. में से 1/2 बीघा कच्ची भूमि अर्थात् 562 वर्ग मीटर भूमि को गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज किया जावे तथा इसके बदले में इकरारनामें में अंकित स्थान पर आवेदक(प्रार्थी) की खातेदारी आराजी 413 रकबा 2.19 हैक्टेयर में पौन (3/4) बीघा कच्ची अर्थात् 843 वर्ग मीटर भूमि को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज की जावें तथा इसी अनुसार मौके पर नाप जोख कर आवेदक का रास्ता कायम करने एवं अनावेदकगण सं. 1 ता 3 को कब्जा देने हेतु तहसीलदार, धोद को निर्देशित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार, धोद को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर
उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु.) सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner